राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 29)

[12 अगस्त, 2021]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी सूचक प्रतिवेशी की समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग का गठन करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 हैं। संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ।

(2) जहां तक इसका संबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में लागू होगा।

(3) यह 13 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं। **2.** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''निकटवर्ती क्षेत्रों'' से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जहां प्रदूषण का कोई ऐसा स्रोत अवस्थित है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु क्वालिटी पर प्रतिकूल समाघात करता है;

(ख) ''सहयुक्त सदस्य'' से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सहयोजित सदस्य है;

(ग) ''अध्यक्ष'' से धारा 3 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ओर निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है;

(च) '' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र'' का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है; 1985 का 2

(छ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उसके हैं। 1986 का 26

अध्याय 2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग

आयोग का गठन। **3.** (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उस आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपें गए कृत्यों का पालन करने के लिए होगा।

(2) आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) पूर्णकालिक अध्यक्ष, जिनके पास पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष से अन्यून का अनुभव हो या जिसके पास पच्चीस वर्ष से अन्यून का प्रशासनिक अनुभव हो;

(ख) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव पदेन की पंक्ति से कम का अधिकारी न हो;

(ग) पांच पदेन सदस्य, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभाग के या तो मुख्य सचिव या भारसाधक सचिव हैं;

(घ) एक पूर्णकालिक सदस्य जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव है या रहा है;

(ङ) तीन पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य जिन्हें उन व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएं जिनके पास वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में विनिर्दिष्ट ज्ञान और अनुभव है;

(च) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक तकनीकी सदस्य, पदेन;

(छ) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक तकनीकी सदस्य, पदेन;

(ज) गैर-सरकारी संगठनों से तीन सदस्य जिनके पास वायु प्रदूषण रोकथाम संबंधी विषयों का अनुभव है;

(झ) राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव या सलाहकार पदेन की पंक्ति से कम का न हो;

(ञ) भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के पूर्णकालिक सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया जाए;

(ट) ऐसे पणधारियों में से तीन सदस्य जो कृषि, उद्योग, यातायात या संनिर्माण जैसे सेक्टर से हों।

(3) आयोग, निम्नलिखित व्यक्तियों को सहयुक्त सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से कम का न हो;

(ख) विद्युत मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से कम का न हो;

(ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से कम का न हो;

(घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से कम का न हो;

(ङ) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से कम का न हो;

(च) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से कम का न हो;

(छ) वाणिज्य या उद्योग के किसी संगम का एक प्रतिनिधि;

(ज) ऐसे अन्य सहयुक्त सदस्य, जो विहित किए जाएं।

(4) सदस्य-सचिव आयोग का मुख्य समन्वय अधिकारी होगा और इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता करेगा।

(5) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी, आयोग को इस अधिनियम के अन्तर्निहित विषयों की बाबत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अनन्य अधिकारिता होगा और ऐसे विषयों में किसी अन्य निकाय, प्राधिकारी, व्यष्टि या समिति को कोई शक्ति या अधिकारिता नहीं होगी:

परंतु यह कि आयोग और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सरकारों या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति या किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किसी अन्य कानूनी प्राधिकरण के आदेशों और साथ ही निदेशों में किसी विरोधाभास की दशा में, आयोग का आदेश और साथ ही साथ निदेश अभिभावी होगा।

अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति।

4. (1) आयोग के पदेन सदस्यों से भिन्न, पूर्णकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे:

परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, दूसरे परंतुक के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे,—

(क) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रभारी मंत्री-अध्यक्ष;

(ख) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभारी मंत्री-सदस्य;

(ग) भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रभारी मंत्री-सदस्य;

(घ) भारत सरकार के विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय का प्रभारी मंत्री-सदस्य;

(ङ) मंत्रिमंडल सचिव-सदस्य:

परंतु यह और कि जहां, किसी मामले में, केन्द्रीय सरकार, धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन किसी सेवारत अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है या उसके खंड (घ) के अधीन पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, तब चयन समिति की सिफारिश अपेक्षित नहीं होगी।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट चयन समिति में किसी सदस्य का कोई पद रिक्त है।

(3) आयोग का सदस्य-सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, नियुक्त किया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना।

5. (1) पदेन सदस्य से भिन्न, अध्यक्ष या कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी पदेन सदस्य से भिन्न, अध्यक्ष या किसी सदस्य को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके पद से हटा सकेगी, यदि ऐसा व्यक्ति,–

(क) जो न्यायनिर्णीत दिवालिया है;

(ख) जो अपनी पदावधि के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन के बाहर किसी संदत्त नियोजन में लगता है;

(ग) जो विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया है;

(घ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि कार्यालय में उसके बने रहने से जनसाधारण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या कोई अन्य हित अर्जित किया है जिससे उसके कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या

(च) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है:

परंतु ऐसे सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

6. किसी पदेन सदस्य से भिन्न, अध्यक्ष या कोई सदस्य, उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, से तीन वर्ष के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में काम करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना।

7. (1) अध्यक्ष का पद, मृत्यु त्यागपत्र या अन्यथा कारण से, रिक्त होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए तब तक के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है।

(2) जब अध्यक्ष, छुट्टी या अन्यथा, अनुपस्थिति के कारण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है, तब केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस निमित अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु उस तारीख तक प्राधिकृत कर सकेगी जिस तारीख तक अध्यक्ष अपना पद पुन: ग्रहण नहीं कर लेता है।

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

8. पदेन सदस्यों से भिन्न, अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं:

परंतु अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्ते और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अहित में फेरफार किया जाएगा।

9. आयोग का कोई कृत्य या कार्यवाही, केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग के गठन में कोई त्रुटि है या कोई पद रिक्त है। रिक्ति, आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

10. (1) आयोग ऐसे समय और स्थान पर जो अध्यक्ष ठीक समझे, बैठक करेगा। आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए आयोग को विनियमों द्वारा अपनी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने की शक्ति होगी।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय, सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

(4) आयोग, ऐसी शर्तों या सीमाओं के अधीन रहते हुए, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यदि कोई हो, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य-सचिव या धारा 11 के अधीन गठित किसी उप-समिति को इस अधिनियम के अधीन (धारा 25 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) अपनी ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी का संरक्षण और सुधार करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन समझा जाए।

11. (1) आयोग में कम से कम निम्नलिखित तीन उप-समितियां होंगी— आयोग की उप-समितियां और अन्य कर्मचारिवृन्द।

(क) मानीटरी और पहचान उप-समिति;

(ख) सुरक्षा और प्रवर्तन उप-समिति;

(ग) अनुसंधान और विकास उप-समिति।

(2) मानीटरी और पहचान उप-समिति की अध्यक्षता उसके द्वारा चयन किए गए आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रतिनिधि;

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति से एक-एक प्रतिनिधि;

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान से एक प्रतिनिधि;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) सुरक्षा और प्रवर्तन उप-समिति की अध्यक्षता आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से वायु प्रदूषण का समाधान करने वाले विभाग से एक-एक प्रतिनिधि जो सचिव की पंक्ति से कम का न हों;

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति से एक-एक प्रतिनिधि;

(ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से एक-एक अधिकारी जो पुलिस महानिदेशक या समतुल्य की पंक्ति से कम काम न हों;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) अनुसंधान और विकास उप-समिति की अध्यक्षता आयोग के पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य द्वारा की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान से दो तकनीकी प्रतिनिधि;

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में

प्रत्येक अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या महाविश्वविद्यालयों या संगठनों से एक-एक तकनीकी प्रतिनिधि;

(ग) औषधि और अनुसंधान के क्षेत्र में जीवित प्राणियों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव पर काम करने या अध्ययन करने वालों से दो तकनीकी प्रतिनिधि;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) आयोग ऐसी अन्य उप-समितियों का भी गठन कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(6) पदेन सदस्यों से भिन्न, उप-समितियों के सदस्यों को ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जो विहित किए जाएं।

(7) केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से, आयोग के कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण करेगी तथा आयोग को ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी, जो वह ठीक समझे।

(8) आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(9) उपधारा (7) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

अध्याय 3

आयोग की शक्तियां और कृत्य

आयोग की शक्तियां और कृत्य।

12. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग को ऐसे उपाय करने, निदेश जारी करने और शिकायत ग्रहण करने की शक्ति होगी, जो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की क्वालिटी का सुधार और संरक्षा करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे तथा आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी उपाय करे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की क्वालिटी का सुधार और संरक्षा करने के लिए आवश्यक हो गए हों।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निम्नलिखित शक्तियां होंगी जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण का उपशमन करने के लिए उपाय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ऐसे क्रियाकलापों को विनियमित करने या प्रतिषिद्ध करने जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण होना संभाव्य है या बढ़ता है, भी हैं, अर्थात्:—

(i) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों, अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की गई ऐसी कार्रवाइयों का समन्वय करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हैं;

(ii) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा कार्यान्वित करना;

(iii) वायु की क्वालिटी हेतु उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं पर मानदंड अधिकथित करना;

(iv) भिन्न-भिन्न स्रोतों से जो भी पर्यावरण संबंधी प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के लिए मानदंड अधिकथित करना, जो उस क्षेत्र में वायु की क्वालिटी पर प्रभाव डालते हों:

परंतु क्षेत्र में वायु क्वालिटी पर विवक्षा रखने वाले भिन्न-भिन्न स्रोतों से पर्यावरण संबंधी प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के परिमाण और सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न स्रोतों पर इस खंड के अधीन उत्सर्जन या निस्सारण के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड अधिकथित किए जा सकेंगे;

(v) क्षेत्र में वायु की क्वालिटी पर विवक्षा रखने वाले ऐसे क्षेत्रों पर निर्बंधन लगाना जिसमें कोई

उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या ऐसे उद्योगों के वर्ग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण नहीं किए जाएंगे या कतिपय सुरक्षा की शर्त के अधीन किए जाएंगे;

(vi) क्षेत्र में वायु की क्वालिटी पर विवक्षा रखने वाले पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित क्रियान्वित और अपेक्षित अन्वेषण और अनुसंधान करना;

(vii) किसी परिसर, संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रसंस्करण, सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण करना और क्षेत्र में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक उपाय करने की बाबत ऐसे प्राधिकारियों, अधिकारियों या व्यक्तियों को आदेश द्वारा ऐसे निदेश देना जैसे वह आवश्यक समझे;

(viii) क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों की बाबत जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना;

(ix) क्षेत्र में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित मैनुअल, कोड या गाइड तैयार करना;

(x) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकारियों को ऐसे पदनाम के साथ, जो वह ठीक समझे, नियुक्त करना और उन्हें इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शक्तियां और कार्य जो वह ठीक समझे, सौंप सकेगा;

(xi) किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को लिखित में निदेश जारी करना और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसी निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए या घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेश जारी करने के अंतर्गत निम्नलिखित निदेश देने की शक्ति भी है—

(क) किसी उद्योग का प्रचालन या प्रसंस्करण बंद करना, प्रतिषिद्ध या विनियमन करना; या

(ख) विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमन करना।

(3) (क) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन, आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को युक्तियुक्त समय पर और ऐसी सहायता से, जो वह आवश्यक समझता हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में प्रवेश का अधिकार होगा,—

(i) आयोग द्वारा सौंपे गए कृत्यों में से किसी के निर्वहन करने हेतु;

(ii) यह अवधारित करने के लिए कि क्या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन किया जाना है और यदि हां, तो किस रीति में किया जाना है या क्या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किन्हीं उपबंधों का या इस अधिनियम के अधीन तामील किए गए नोटिस, किए गए आदेश, दिए गए निदेश या अनुदत्त प्राधिकार का पालन किया जा रहा है या पालन किया गया है;

(iii) किसी उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारवान् पदार्थ की परीक्षा या परीक्षण करने के प्रयोजन से या किसी ऐसे भवन की तलाशी लेने के लिए जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके भीतर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और ऐसे किसी उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारवान् पदार्थ का उस दशा में अभिग्रहण करने के लिए, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी दंडनीय उपराध के किए जाने का साक्ष्य दिया जा सकेगा या पर्यावरण संबंधी प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए ऐसा अभिग्रहण आवश्यक है।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी परिसंकटमय पदार्थ का कोई उद्योग, प्रचालन या प्रसंस्करण करता है, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को सभी सहायता देने के लिए आबद्ध होगा जिसे खंड (क) के अधीन आयोग द्वारा

उस खंड के अधीन कृत्य करने के लिए सशक्त किया है और यदि वह किसी युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसा करने में असफल रहता है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी होगा।

(ग) यदि कोई व्यक्ति खंड (क) के अधीन आयोग द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों के निर्वहन में जानबूझकर विलंब करता है या बाधा पहुंचाता है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को 1974 का 2
वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त प्रक्रिया की धारा 94 के अधीन या उक्त विधि के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

(4)(क) आयोग या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से वायु के नमूने ऐसी रीति में लेने की शक्ति होगी, जो विहित की जाए।

(ख) खंड (क) के अधीन लिए गए किसी नमूने के विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में तब तक साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा जब तक खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया हो।

(ग) खंड (घ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए खंड (क) के अधीन नमूना लेने वाला व्यक्ति,—

(i) इस प्रकार विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना तब और उसी समय ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति पर तामील करेगा;

(ii) अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति की उपस्थिति में विश्लेषण के लिए नमूना लेगा;

(iii) नमूने को किसी आधान या आधानों में रखवाएगा जिसे चिह्नांकित और सीलबंद किया जाएगा तथा उस पर नमूना लेने वाले व्यक्ति और अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति, दोनों हस्ताक्षर भी करेंगे;

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं को आधान या आधानों को अविलंब भेजेगा।

(घ) जब खंड (क) के अधीन विश्लेषण के लिए कोई नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति पर खंड (ग) उपखंड (i) के अधीन नोटिस की तामील करता है, तब,—

(i) ऐसे मामले में जहां अधिष्ठाता, उसका अभिकर्ता या व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, वहां नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण के लिए नमूना लेगा और नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा जिसे चिह्नांकित और सीलबंद किया जाएगा तथा नमूना लेने वाला व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर भी करेगा; और

(ii) ऐसे मामले में जहां नमूना लिए जाने के समय अधिष्ठाता, उसका अभिकर्ता या व्यक्ति उपस्थित रहा है किन्तु खंड (ग) के उपखंड (iii) के अधीन अपेक्षित रूप में नमूने के चिह्नांकित और सीलबंद आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, वहां चिह्नांकित और सीलबंद आधान या आधानों पर नमूना लेने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा,

और आधान या आधानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं को विश्लेषण के लिए अविलंब भेजेगा और ऐसा व्यक्ति सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति के यथास्थिति, जानबूझकर अनुपस्थित रहने या आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से उसके इंकार करने के बारे में जानकारी देगा।

(5) आयोग और धारा 11 में उल्लिखित उप-समितियां अपने प्राधिकार का प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन करने में केन्द्रीय सरकार के ऐसे साधारण या विशिष्ट निदेशों द्वारा आबद्ध होंगे जो समय-समय पर जारी

किए जाएं।

(6) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग सभी निम्नलिखित में से किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:

(क) किसी व्यक्ति, संगम, कंपनी, लोक उपक्रम या कोई उद्योग चलाने प्रचालन या संक्रिया करने वाले किसी स्थानीय निकाय के विरुद्ध स्वप्रेरणा से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए तंत्र और साधन उपलब्ध कराना–

(i) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम;

(ii) राष्ट्रीय वायु क्वालिटी मानीटरी कार्यक्रम;

(iii) राष्ट्रीय परिवेशी वायु क्वालिटी मानक;

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित के लिए प्रभावी रूपरेखा और मंच उपलब्ध कराना–

(i) कालिक आधार पर वायु प्रदूषण के स्त्रोत की पहचान;

(ii) वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधारभूत उपाय करना;

(iii) वायु प्रदूषण के क्षेत्र में विनिर्दिष्ट अनुसंधान और विकास;

(iv) वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर निगरानी रखने, उनके प्रवर्तन और अनुसंधान के लिए नवीकरणीय उपाय और विकसित करने में सभी पणधारियों को सक्रिय और प्रयासरत बनाने के लिए सहयोग करना;

(v) वायु प्रदूषण के क्षेत्र में कार्य करने वाले या अनुसंधान करने वाले तकनीकी संस्थाओं के बीच नेटवर्क बनाना;

(vi) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोतम पद्धतियों को साझा करना भी है;

(vii) वायु प्रदूषण की समस्या का पता लगाने के लिए विशेष कर्मीदल का सृजन करना और प्रशिक्षण देना;

(घ) निम्नलिखित के लिए प्रभावी रूपरेखा, कार्य योजना उपलब्ध कराना और समुचित उपाय करना–

(i) खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ जलाने की समस्या का पता लगाना;

(ii) वायु प्रदूषण कारकों की मानीटरी, निर्धारित और निरीक्षण करना;

(iii) वृक्षारोपण की वृद्धि करना;

(ङ) खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ जलाने संबंधी राज्यों द्वारा किए जा रहे उपायों की मानीटरी करना;

(च) वायु प्रदूषण के क्षेत्र में अनुसंधान और उसका संवर्धन;

(छ) समाज के विभिन्न वर्गों में वायु प्रदूषण के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना और ऐसे सामूहिक उपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना जिन्हें जनता प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों से प्राप्त कर सके;

(ज) वायु प्रदूषण के क्षेत्र में कार्यरत और सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना;

(झ) कोई अन्य कृत्य, जो समय-समय पर पारित किसी न्यायिक आदेश के अनुसरण में, वायु प्रदूषण,

खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ जलाने या संबंधित कारकों की निगरानी करने से सम्बद्ध मुद्दों पर कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए गठित किसी तदर्थ समिति या कर्मीदल या निकाय को सोपें गए हों;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य, जो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण के लिए आवश्यक समझे।

वार्षिक रिपोर्ट।

13. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट देगा जिसमें किए गए उपायों, किए गए प्रस्तावों प्रतीक्षित अनुसंधानों और धारा 12 के अधीन उसके कृत्यों के अनुसरण में उसके द्वारा किए गए अन्य उपायों के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन दी गई वार्षिक रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेश या निदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति।

14. (1) इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए नियमों या आयोग द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश का अननुपालन या उल्लंघन उपराध होगा, जो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा:

परंतु इस धारा के उपबंध किसी कृषक को खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ जलाने या कृषि अवशिष्ट के कुप्रबंध द्वारा वायु प्रदूषण कारित करने के लिए लागू नहीं होंगे।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध असंज्ञेय 1974 का 2
होगा और अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, जो आयोग या आयोग द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के सिवाय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण–उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है वहां उस विभाग का अध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने किए जाने का भागी होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी विभाग के ऐसे अध्यक्ष को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध उस विभाग के अध्यक्ष से भिन्न

किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

(7) इस धारा और उसके अधीन अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए दंड प्रक्रिया
1974 का 2 संहिता, 1973 के उपबंध लागू होंगे।

15. आयोग, खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ जलाने के कारण वायु प्रदूषण कारित करने वाले कृषकों से, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पर्यावरण संबंधी प्रतिकर अधिरोपित और संगृहीत कर सकेगा। पर्यावरण संबंधी प्रतिकर।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

16. (1) केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित विधि द्वारा विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी राशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे। केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।

17. (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे। लेखा और संपरीक्षा।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे, उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

18. (1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित आयोग द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अपील।
2010 का 19 आदेश, निदेश या की गई कार्यवाही के विरुद्ध कोई अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अधीन गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को होगी।

19. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए या किसी न्यायालय द्वारा किसी न्यायिक आदेश में किसी बात के होते हुए भी, जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण टीमों का गठन कर सकेगा जो ऐसे अधिकारियों या ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे। विशेष अन्वेषण टीमों का गठन।

20. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अधिनियम के उपबंध के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार लिखित में, ऐसे निदेश, जो वह आवश्यक समझे, आयोग या किसी व्यक्ति या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी को जारी कर सकेगी और यथास्थिति, आयोग, व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे निदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा। केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

केन्द्रीय सरकार की जानकारी मांगने की शक्ति।

21. केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, ऐसी जानकारी और रिपोर्ट, जो वह ठीक समझे, मांग सकेगी और आयोग ऐसी जानकारी और रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए आबद्ध होगा।

अधिकारिता का वर्जन।

22. किसी भी सिविल न्यायालय को, किसी भी मामले के संबंध में, जिसके लिए आयोग इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा, सशक्त है, आयोग द्वारा की गई कार्रवाई या जारी किए गए निदेशों से सम्बधित या उससे उद्भूत किसी वाद, कार्यवाही या विवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

23. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए किसी आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार, आयोग या उसके किसी सदस्य या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी जो या तो केन्द्रीय सरकार या आयोग के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना।

24. आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। 1860 का 45

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

25. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन अन्य सहबद्ध सदस्य;

(ख) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाए जाने की रीति;

(ग) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;

(घ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन उप-समितियों के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को संदेय भत्ते;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (7) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति;

(च) धारा 11 की उपधारा (9) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें;

(छ) धारा 12 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन नमूने लेने की रीति और खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन सूचना का प्ररूप;

(ज) धारा 15 के अधीन ऐसी दर पर और ऐसी रीति में जिसमें पर्यावरण संबंधी प्रतिकर अधिरोपित और संगृहीत किया जाएगा;

(झ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा;

(ञ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात का विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

26. (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगा। आयोग की विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) आयोग द्वारा धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) आयोग द्वारा, ऐसी शर्तें और सीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए, धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति प्रत्यायोजित की जाए;

(ग) धारा 11 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक उपसमिति के सदस्य;

(घ) धारा 13 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट देने का प्ररूप और रीति;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए।

(3) आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात् के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

27. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस अधिनियम के लागू होने से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

28. (1) इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई दस्तावेज, निर्णय, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी निर्णय या किसी न्यायालय के किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 3 के अधीन आयोग के गठन की अधिसूचना पर या तो संसद् या किसी राज्य द्वारा अधिसूचित किसी विधि के अधीन या किसी न्यायिक आदेश की निबंधनों में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यष्टि या निकाय या प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बंध में कोई कार्य नहीं करेगा या उनको अधिकारिता नहीं होगी।

29. (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अधिसूचना सख्यांक का.आ. 93 (अ), तारीख 29 जनवरी, 1998 द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण गठित करने वाला पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 द्वारा उसके अधीन किया गया आदेश निरसित किया जाता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण विघटित किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण गठित करने वाले आदेश का निरसन और व्यावृत्तियां।

1986 का 29

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त आदेश के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

व्यावृत्तियां।

30. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2020 के निरसन के होते हुए भी, ऐसे अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 2020 का अध्यादेश सं. 13

निरसन और व्यावृत्ति।

31. (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2021 का अध्यादेश सं. 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अध्यादेश, 2021 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 2021 का अध्यादेश सं. 4

———